न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 3869–पीबीआर/2012 विरूद्ध आदेश दिनांक 24–01–2012 पारित द्वारा न्यायालय तहसीलदार तहसील हुजूर जिला भोपाल के प्रकरण कमांक 105/अ–12/2011–12.

....

चिनार सेवन्त भील द्वारा सुनी मूलचंदानी
ग्राम बोरदा तहसील हुजूर
जिला भोपाल म0प्र0

.... आवेदक

विरूद्ध

श्रीमती उपासनासिंह पत्नी श्री शैलेष असवार
निवासी जानकी नगर चूनाभट्टी
तहसील हुजूर जिला भोपाल

.... अनावेदिका

....

श्री आर.एन.गौर, अभिभाषक–आवेदक
श्री सी0एम0विश्वकर्मा, अभिभाषक–अनावेदिका

....

:: आ दे श ::

(आज दिनांकः 10/11/2015 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार तहसील हुजूर जिला भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 24–1–2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदिका द्वारा तहसील न्यायालय में ग्राम बोरदा स्थित कृषि भूमि खसरा कमांक 53, 54, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63 कुल रकबा 0.360 हेक्टर के सीमांकन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण कमांक 105/अ–12/11–12 दर्ज कर विधिवत् कार्यवाही करते हुये दिनांक 24–1–2012 को अनावेदिका के पक्ष में

सीमांकन आदेश पारित किया गया । तहसीलदार के इसी आदेश से व्यथित होकर आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय द्वारा सीमांकन की कार्यवाही में आवेदक को सूचना नहीं दी गई है, साथ ही पडोसी कृषकों को भी सूचना नहीं दी गई है। आवेदक के पीठ पीछे सीमांकन किया गया है, जो उचित नहीं है । अतः तहसीलदार द्वारा पारित आदेश निरस्त किया जाकर निगरानी स्वीकार की जाये।

4/ अनावेदिका के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक द्वारा तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध विलम्ब से निगरानी प्रस्तुत की गई, इसलिये सर्वप्रथम समय सीमा के बिन्दु का निराकरण किया जाये । तत्पश्चात् ही गुणदोष पर निराकरण होना चाहिये । तहसीलदार द्वारा सीमांकन की कार्यवाही के दौरान आवेदक व पड़ोसी कृषकों विधिवत् को सूचना दी गई है और पडोसी कृषक उपस्थित भी हुये हैं, अतः तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश स्थिर रखा जाकर अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन व प्रस्तुत निगरानी निरस्त किये जाने योग्य है ।

5/ उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा विधिवत् सीमांकन की कार्यवाही की जाकर सीमांकन आदेश पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । इस संबंध में आवेदक क विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं है कि तहसील न्यायालय द्वारा सीमांकन की कार्यवाही में आवेदक सहित पड़ोसी कृषकों को सूचना नहीं दी गई है, क्योंकि तहसील न्यायालय के आदेश में सूचना पत्र संलग्न है, जिससे स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमि के आस पास जो भी अभिलिखित भूमिस्वामी है, उन्हें सीमांकन की सूचना दी गई है, क्योंकि आवेदक अभिलिखित भूमिस्वामी नहीं था, अतः उसे पृथक से सूचना नही दी गई । इस

प्रकार तहसीलदार द्वारा पारित सीमांकन आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार तहसील हुजूर जिला भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 24–1–2012 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

7/ यह आदेश निगरानी प्रकरण कमांक 3870–पीबीआर/2012 में भी लागू होगा, अतः इस आदेश की एक प्रति उक्त प्रकरण में भी संलग्न की जाये ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर